पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

विद्यार्थियों हेतु नियमावली

Student's Rule Book

पतंजलि विश्वविद्यालय

विद्यार्थियों हेतु नियमावली

अनुक्रमणिका

क्रम	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर नियमावली	3
2.	छात्रावास प्रबन्धन	9
3.	आवास आवन्टन	11
4.	आवासगत आचार संहिता	12
5.	अतिथि सम्बंधी नियम	17
6.	उपकरणों का उपयोग तथा रखरखाव	17
7.	सामूहिक उत्तरदायित्व	19
8.	छात्रावास शुल्क	21
9.	भोजनालय नियम	22
10.	छात्रावास उपस्थिति में छूट के नियम	24
11.	UGC मानक अनुसार रैगिंग विरोधी मानक एवं उनके उपाय	24
12.	छात्रावास प्रबन्धन के अधिकार	28

परम पिता परमेश्वर द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि के समस्त प्राणियों के कल्याण व उत्थान हेतु विभिन्न नियम व मर्यादा सुनिश्चित की है, जिन्हें वेदों में ऋत नियमों के रूप में भी जाना जाता है। सम्पूर्ण विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु अनुशासन है और अनुशासन से ही राष्ट्र का उत्थान सम्भव है। अनुशासन से ही शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति सम्भव है। वेदोक्त जीवन हमें निषेधपूर्वक मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा देता है। "बन्धन में ही सृजन है" अतएव नियमों एवं मर्यादाओं को बन्धन न मानकर अपने सृजन का आधार माने।

विश्वविद्यालय परिसर नियमावली

प्रस्तुत नियम विश्वविद्यालय में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए आवश्यक रूप से पालनीय हैं। विश्वविद्यालय परिसर अथवा परिसर से बाहर कहीं भी अनुशासन भंग करते हुए पाये जाने पर अथवा सूचना प्राप्त होने पर यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी–

1. सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि सभी प्राध्यापकों एवं सेवाकर्मियों से सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। आपसी व्यवहार में भी वरिष्ठता का ध्यान रखें तथा वरिष्ठ विद्यार्थीयों को अपने छोटे भाई–बहन मानकर अतिप्रेमपूर्वक व्यवहार व सहयोग करें।
2. विद्यार्थियों को विदित रहे कि अपने से बड़ों से वार्तालाप करते समय अति विनम्रता और सहनशीलता का परिचय देते हुए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे–आप, जी इत्यादि। कभी भी बड़ों की बातों की अहवेलना न करें, न ही उपहास करें।
3. परस्पर व्यवहार का मुख्य साधन वाणी है। अतः ध्यातव्य रहे कि परस्पर वाग्–विलास के क्षणों में भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें (क्षेत्रीय शब्दों का यथा–तू, तेरे को, मेरे को, अबे, तबे, इत्यादि)। वाणी व्यवहार में शिथिलता न हो।

4. शैक्षणिक गतिविधियों एवं परीक्षा सम्बन्धी क्रिया-कलापों में भ्रष्टता व गड़बड़ी पाये जाने पर एवं विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद या मारपीट की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यावाही की जायेगी। ध्यातव्य रहे कि किसी भी स्थिति-परिस्थिति में किसी भी को वाणी व्यवहार से प्रताड़ित नहीं करना। विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर व बाहर परस्पर किसी के ऊपर हाथ उठाना अक्षम्य अपराध है।

5. सभी छात्र/छात्राएं निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में रहें। निर्धारित गणवेश एवं परिचय पत्र के साथ न पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।

6. छात्रावास के बाहर हमेशा यौगिक वस्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखें। छात्रों के लिए कुर्ता-पायजामा अथवा धोती-कुर्ता तथा छात्राओं के लिए सलवार-कुर्ता अथवा साड़ी ही स्वीकार्य हैं। भड़कीले एवं अशोभनीय पश्चिमी पहनावा स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालय परिसर या छात्रावास में छात्र-छात्राएं सजगतापूर्वक इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्रों के रूप में भारतीय परिधान ही प्रयोग करें।

7. योग एवं खेल-कूद के समय विश्वविद्यालय से प्रदत्त निर्धारित ट्रैक-सूट, टी-शर्ट आदि ही धारण करें।

8. यज्ञ में व विशेष पर्वों पर उत्तरीय व कटिवस्त्र धारण करें। छात्राएं सलवार-कुर्ता अथवा साड़ी धारण करें।

9. विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्पत्ति का अनाधिकृत प्रयोग या दुरुपयोग या जानबूझ कर/ अनजाने में क्षति पहुँचाये जाने पर अथवा ऐसी किसी सूचना प्राप्त होने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

10. सभी छात्र/छात्राएं सादगीपूर्वक ही रहें एवं वस्त्र/केश विन्यास व सौन्दर्य प्रसाधन में मर्यादाओं का ध्यान रखेगें तथा किसी भी प्रकार के अत्याधुनिक सौन्दर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे।

11. संस्थागत उत्सव एवं ज्ञानवर्धक सत्र आदि में माननीय कुलाधिपति, मा० कुलपति एवं मा० प्रतिकुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।

12. विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के अवांछित/अशोभनीय/अमर्यादित कृत्य में संलिप्तता पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13. बिजली व पानी का दुरुपयोग न करें, किसी भी कक्ष से निकलते समय हमेशा यह सुनिश्चित करें कि पंखा, ट्यूब लाईट आदि ठीक प्रकार से सभी विद्युत् उपकरण, दरवाजा, खिड़की आदि ठीक प्रकार से बन्द हों। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का कैमरा, रिकॉर्डर, वीडियो यंत्र, ऑडियो यंत्र आदि का रखना एवं प्रयोग करना तथा किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र आदि का रखना व प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

14. विद्यार्थियों को अपरिहार्य स्थिति में भी अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश अनुमन्य नहीं है। अध्ययन-सत्र अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। अवकाश समाप्ति पर सुनिश्चित तिथि में ही उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी विलम्ब से आता है तो 1000 रुपये आर्थिक दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा और यदि सात दिन बाद आता है तो उसका नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

15. विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वस्तु क्रय में स्वदेशी भावना की अनुपालना सुनिश्चित करें। पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर में रहते समय उपलब्ध उत्पादों का प्रयोग ही अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को करना है।

16. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के पाये जाने पर माननीय कुलपति, माननीय प्रति-कुलपति के दिशा निर्देशन में सक्षम प्राधिकारी/अनुशासन समिति/छात्रपाल द्वारा निर्धारित दण्ड उनके

अपने स्वविवेक पर निर्भर होगा, जिनमे कि अर्थदण्ड, श्रमदण्ड, निष्कासन, निलम्बन इत्यादि हो सकते हैं।

17. विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के द्वारा जातिवाद, प्रान्तवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद, एवं शारीरिक संरचना रंग-रूप व परिधान इत्यादि विषयों के आधार पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, भेद-भाव तथा वाद-विवाद दण्डनीय है।

18. विश्वविद्यालय में से कोई भी विद्यार्थी निर्दिष्ट ग्रंथ-वेद, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद्, गीता, घेरण्ड संहिता, हठप्रदीपिका आदि शास्त्रों को स्मरण करके संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक शास्त्र प्रतियोगिता में नियमानुसार शस्त्रों को यदि सुनाता है तो उसको शास्त्रानुसार निर्धारित 1,000/-से लेकर 1,00,000/-रुपये तक का पुरस्कार दिया जायेगा।

19. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में लक्ष्य के प्रति दृढ संकल्प व अखण्ड प्रचण्ड पुरुषार्थ के साथ-साथ निष्ठापूर्वक विद्याभ्यासों, व्रताभ्यासों की परिपक्वता एवं जीवन की सफलता हेतु समय की उपलब्धतानुसार माह में एक बार योगऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज (माननीय कुलाधिपति), आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज (माननीय कुलपति) तथा परम पूज्य गुरुजी महाराज का पावन सान्निध्य प्राप्त होगा।

20. हमारे नैतिक मूल्यों कर्त्तव्यों, सिद्धान्तों तथा वैदिक जीवन पद्धति पर आधारित साप्ताहिक कक्षा सभी विद्यार्थियों हेतु सुनिशिचित है। जिसमें समयानुसार माननीय प्रतिकुलपति महोदय एवं अन्य निर्धारित विद्वानों एवं आचार्यों का पावन सान्निध्य प्राप्त होगा, जिसमें परस्पर विविध विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा जिससे विद्यार्थी का ज्ञान परिपक्व होगा।

21. सभी विद्यार्थी इस बात का सदैव ध्यान रखें कि कक्षाओं, सभाओं तथा सभी दिनचर्याओं में निर्धारित समय से पूर्व पहुचें। विलम्ब से पहुँचना या अनुपस्थित रहना दण्डनीय है।

22. सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर/छात्रावास में लगे सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड, जिससे आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं), उसे जागरुकतापूर्वक प्रतिदिन देखने का अभ्यास बनाएं, जिससे समय-समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहें तथा किसी को दोषी न ठहरा सकें।

23. छात्र एवं छात्राओं के लिए उचित है कि कक्षाओं, सभाओं एवं सामूहिक कार्यक्रमों में मर्यादित रूप से अलग-अलग बैठें तथा कक्षाओं, सभाओं एवं कार्यक्रमों की समाप्ति पर छात्र पहले छात्राओं को जाने दें बाद में स्वयं जायें। द्वार पर या अन्य स्थानों पर अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो। मर्यादा का पालन करते हुए कोई भी भाई-बहन (छात्र/छात्रा) समूह या युगल में व्यर्थ ही भ्रमण न करें, न किसी एकान्त स्थान पर बैठें, न ही अमर्यादित रूप से परस्पर हंसी-मजाक करें या कुचेष्टा करें, यदि ऐसा करते हुए पाये जाते हैं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

24. विद्यार्थी जिस किसी भी विषय में विशेष रुचि व योग्यता रखते हैं (यथा–खेल-कूद, योगासन, गायन वादन, अनुसंधान, साहित्य लेखन आदि) के लिए समय-समय पर उनका मार्गदर्शन व प्रदर्शन कराया जायेगा, जिससे उनके अन्दर कला कौशल विकसित हो सके। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा, जिसमे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा एवं सहभागिता के लिए अन्य विश्वविद्यालय में भी भेजा जायेगा।

25. वर्ष में एक बार विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित "अभिभावक-गोष्ठी" में छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों को आना अनिवार्य है, ताकि अभिभावक सम्बंधित पुत्र-पुत्रियों की गतिविधियों/ उनकी अध्ययन सम्बन्धी प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकें।

26. जनजागरुकता के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किये जाने वाले-स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरुकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान अभियान आदि कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य रहेगा।

27. विश्वविद्यालय के पुरातन विद्यार्थियों को कम से कम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर त्रिदिवसीय अभिभावक शिविर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज का पावन सानिध्य व आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से आमंत्रित किया जायेगा। जिससे विश्वविद्यालय परिवार में विद्यार्थियों का आत्मगौरव बढ़ सके तथा नये विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके। कृपया आमंत्रित विद्यार्थी अपने आने की पूर्व सूचना शिविर से 10 दिन पहले ही दें।

28. यद्यपि विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के हित में सभी नियम व बाध्यताएं प्रस्तुत हैं तथापि विश्वविद्यालय तथा विद्यार्थियों के उत्कर्ष के लिए विनम्रतापूर्वक मर्यादित रूप से अपने सुझाव व शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय को लेकर परिसर में/छात्रावास में अशान्ति, असमरसता, अविश्वास, आक्रोश तथा विद्यार्थियों के अध्ययन को बाधित कर उनको भड़काना, भ्रमित करना, हड़ताल आदि की चेष्टा करने पर दोषी विद्यार्थियों को दण्डित किया जायेगा। इस प्रकार के कृत्य पूर्णतया निषेध हैं।

29. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वैदिक संस्कृति के प्रतीक चिन्हो यथा-शिखा, यज्ञोपवीत (सूत्र) का पूर्ण मनोयोग से सम्मान करेगें एवं इन प्रतीकों को स्वयं धारण करने के साथ ही अन्य को धारण करने हेतु उत्साहित करेंगे।

30. कक्षा के समय छात्रावास में किसी भी अन्तेवासी का बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के रहना दण्डनीय होगा।

31. योग, यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन, बैठकों, सभा, गोष्ठी आदि में मोबाईल किसी भी प्रकार से पूर्णतः वर्जित रहेगा। विद्यार्थी स्मार्ट फोन का प्रयोग निर्धारित समय अवधि के अतिरिक्त यदि प्रयोग करते हुए पाये जाते हैं तो फोन जमा कर लिया जायेगा एवं अर्थदण्ड या श्रमदण्ड दिया जायेगा।

32. यदि आप या आपका साथी किसी भी प्रकार की संक्रमित बिमारी से ग्रस्त है तो तुरन्त छात्रपाल को सूचित करना अनिवार्य है। किसी भी साथी की रुग्णावस्था में सहानुभूति व प्रेमपूवर्क उसका ध्यान रखें एवं उसका सहयोग अपेक्षित है।

छात्रावास प्रबंधन

1. निम्नलिखित नामित अधिकारी/कर्मचारी छात्रावास प्रशासन समिति का गठन करेंगे–

छात्रावास प्रशासन समिति :

(a) संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण
(b) छात्रपाल/छात्रापाल अधीक्षक
(c) सहायक छात्रपाल
(d) अनुरक्षण अधिकारी/एस्टेट अधिकारी (सुविधा और उपयोगिता)
(e) परामर्शदाता
(f) मनोवैज्ञानिक
(g) चिकित्सा अधिकारी एवं परिचारक
(h) लेखाकार/लिपिक
(i) सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी
(j) छात्रावास तल–प्रबन्धक
(k) सुरक्षा प्रभारी
(l) छात्रावास पर्यवेक्षक (भोजनालय, छात्रावास कार्यालय)
(m) छात्रावास में निवासरत दो विधार्थी प्रतिनिधि (छात्रावास प्रशासन द्वारा नामित)

2. प्रत्येक छात्रावास का प्रबंधन एक छात्रपाल (नियमित सेवाकर्मी) द्वारा किया जाएगा।

3. कोई भी विद्यार्थी किसी भी परिवाद हेतु छात्रपाल/छात्रावास पर्यवेक्षक से सहायता, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। आवश्यकतानुसार परिवादो को छात्रपाल/छात्रावास पर्यवेक्षक द्वारा अनुशासन समिति को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

4. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को छात्रावास में निवास करना आवश्यक होगा। वैधानिक रूप से छात्रावास की सुविधा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, परास्नातक डिप्लोमा प्रमाण पत्र, परास्नातक और शोध विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। छात्रावास की कुल उपलब्धता प्रणाम पत्र, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध विद्यार्थियों को क्रमशः छः माह/एक वर्ष/तीन वर्ष/दो वर्ष एवं तीन वर्ष अधिकतम अवधि हेतु रहेगी।

5. विद्यार्थी विषम सत्रार्द्ध अवकाश के समय अपने कक्ष का उपयोग कर सकते हैं परन्तु वर्ष के अंत में (सम सत्रार्द्ध) उन्हें छात्रावास खाली करना होगा। कोर्स वर्क, परियोजना कार्य, सस्थागत कार्य एवं छात्रावास कार्य हेतु संकाय अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्रकल्याण अथवा कुलानुशासक की संस्तुति पर छात्रपाल द्वारा सशुल्क निवास की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

6. एम.फिल. तथा शोद्यार्थियों हेतु छात्रावास वर्ष पर्यन्त उपलब्ध होगा, जोकि एम.फिल. हेतु 2 वर्ष तथा शोद्यार्थियों हेतु 3 वर्ष अधिकतम होगा।

7. कार्यरत परियोजना कर्मचारियों को परियोजना अधिकारी के अनुरोध पर छात्रावास एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है। उपलब्धतानुसार उसे बढाया भी जा सकता है, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित छात्रावास एवं अन्य शुल्क लिया जायेगा।

छात्रावास में रहने वाले परियोजना कर्मचारी के लिए भी समस्त नियम मान्य होंगे जो कि विद्यार्थियों हेतु अनुपालनीय हैं। छात्रावास का लाभ उठाने वाले परियोजना कर्मचारी, आवासीय भत्ता के लिए पात्र नहीं हैं साथ ही वे विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में सूचित भी करेंगें।

आवास आवंटन

1. सभी अन्तेवासियों को छात्रावास में प्रवेश के समय व्यक्तिगत प्रपत्र जमा करना आवश्यक है। माता-पिता का दूरभाष नंबर भी देना होगा। स्थानीय अभिभावक का पता और दूरभाष नंबर भी अनिवार्य है। अभिभावक का ईमेल भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी भी समय, माता-पिता, स्थानीय अभिभावक के पते, दूरभाष नंबर में यदि कोई भी परिवर्तन होता है, तो लिखित रूप से छात्रावास कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
2. छात्रावास आवंटन छात्रावास प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक कक्ष के लिए न्यूनतम फर्नीचर आदि की व्यवस्था प्रदान करेगा, जिसमें एक चारपाई, गद्दा, मेज, कुर्सी, नियामक के साथ छत का पंखा और एक ट्यूबलाइट सम्मिलित है। विद्यार्थियों के निवास कक्ष/कक्षों में वातानूकुलन चलाना प्रतिबंधित है।
3. शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को आवंटित कक्ष, विशेष स्थितियों को छोड़कर नहीं बदले जाएंगे।
4. छात्रावास के अधिकारी, कक्ष के आवंटन के लिए उत्तरदायी हैं और उनका निर्णय अंतिम और बाध्य है।
5. छात्रावास प्रबन्धन द्वारा कक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिरिक्त छात्र को भी कक्ष आवन्टित किया जा सकता है।
6. यदि छात्रावास में रहने की अवधि में किसी भी विद्यार्थी की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे अधिकृत छात्रावास के कर्मचारियों/

सहायक छात्रपाल अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और यदि छात्रावास प्रबंधन यह पाता है कि वह पात्र नहीं है, तो उसे छात्रावास छोड़ना होगा।

7. जब तक पूर्णकालिक एवं पंजीकृत विद्यार्थी हैं तब तक छात्रावास में रहने के लिए अधीकृत है। ऐसे किसी भी विद्यार्थी को आवास प्रदान नहीं किया जाएगा जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
8. कक्ष को खाली करने से पहले, विद्यार्थियों को सम्बन्धित प्रपत्र भरने होगें। साथ ही फर्नीचर आदि के साथ विद्युत उपकरण जैसे- पंखे टयूबलाईट, इत्यादि को प्रतिष्ठान को सौपना होगा, कक्ष को खाली करते समय व्यक्तिगत ताले को हटाना होगा।

आवासगत आचार संहिता

1. अन्तेवासी बिना किसी लिखित अनुमति के अपना कक्ष नही बदल सकते हैं एवं अन्य किसी के साथ कक्ष की परस्पर अदला -बदली भी नहीं कर सकते हैं।
2. सभी अंतेवासियों से प्रतिष्ठित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए मानकों अथवा नियमों को बाह्य एवं आन्तरिक दोनो परिसरों में सतत् निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।
3. सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किए गए वैध पहचान पत्र को सदैव धारण रखना आवश्यक है।
4. छात्रावास के समय का पालन अन्तेवासी द्वारा दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए।
5. कक्ष, शौचालय, बाह्य एवं आन्तरिक परिसर को सुन्दर एवं स्वच्छ रखना होगा। दीवारों पर कोई विज्ञापन आदि नही किया जाएगा।
6. अन्तेवासियों को छात्रावास छोड़ने से पहले "चेक-आउट" फॉर्म जमा करके छात्रावास अधिकारियों से अनुमति तथा गेटपास प्राप्त

कर सुरक्षा अधिकारी को सौंपना अनिवार्य है।

7. विद्यार्थी छात्रावास प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति तथा गेटपास मुख्यद्वार पर सुरक्षा अधिकारी को सौंप कर सुबह 5:30 बजे के पश्चात् विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जा सकते हैं।
8. विद्यार्थियों को छात्रावास अधीक्षक और माता-पिता की पूर्व अनुमति के बिना अपनी व्यक्तिगत यात्राएं आयोजित करने की अनुमति नहीं है। कोई त्वरित अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।
9. विद्यार्थियों को संस्थान क्षेत्र में विषम स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और आवासीय क्षेत्र में किसी भी अनुशासनहीनता से बचना चाहिए।
10. शाम 7 बजे से पूर्व सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी विद्यार्थी को सप्ताहांत, अवकाश या किसी भी समय, छात्रावास से अन्यत्र निवास करना हो तो उसे छात्रावास अधीक्षक से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।
11. विद्यार्थियों को रात्रि 9:00 बजे से पूर्व छात्रावास में अपनी उपस्थिति पंजीकृत कराना अनिवार्य है। उपस्थिति के लिए देर से आगमन और अनुपस्थिति के लिए अर्थदण्ड निम्नानुसार देय होगा-
    - 100/- रु० -प्रथम बार
    - 500/- रु० -दूसरी बार
    - छात्रावास से निलम्बन - तीसरी बार
12. जिन विद्यार्थियों को विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति में छूट दी गयी हो, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे छूट के पश्चात पूर्व की भांति अपनी उपस्थिति अंकित करें।
13. अन्तेवासी अपने सामान की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
14. विद्यार्थियों को कक्ष से निकलने से पूर्व ट्यूबलाइट और पंखे बंद

करने होंगे।

15. विद्यार्थी किसी भी अन्य कक्ष से कोई वस्तु अपने कक्ष में लाकर प्रयोग नहीं कर सकता।
16. विद्यार्थियों को छात्रावास के अंदर किसी भी पार्टी (जैसे जन्मदिन) गोष्ठी, जन्मदिन का आयोजन करना, शोर मचाना, उच्च स्वर में वार्तालाप, वाद-विवाद व गाना गाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर 1,000/- रु० का अर्थदण्ड आरोपित होगा।
17. छात्रावास मे शयनकालीन मन्त्र पाठ रात्रि 9:00 बजे से लेकर प्रातः काल यज्ञ पर्यन्त मौन का वातावरण स्थापित करने में परस्पर सहयोग दें। शयनकालीन और जागरणकालीन प्रार्थानाओं में सभी अन्तेवासियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
18. विद्यार्थियों से छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने और अन्य साथी विद्यार्थी की असुविधा का कारण न बनने की अपेक्षा है। इस संबंध में रात्रि 09.00 बजे से प्रातः यज्ञपर्यन्त "मौन साधना" के रूप में माना जाता है और विद्यार्थी से उपरोक्त समय मौन रखने की अपेक्षा की जाती है।
19. विद्यार्थियों को छात्रावास की छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा वे 5,000/- रु० अर्थदण्ड के भागी होंगे।
20. विद्यार्थियों को पूर्णरूप से भरे हुए छात्रावास प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
21. संस्थान में विद्यार्थियों की रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
22. व्यक्तिगत काम जैसे कपड़े धोना आदि के लिए अनाधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।

23. कोई भी विद्यार्थी, जो अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जैसे कि भौतिक दुर्व्यवहार, विश्वविद्यालय संपति की क्षति आदि, निम्नलिखित दंड के लिए उत्तरदायी होगा–
    (1) वह छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
    (2) व्यक्तिगत पंजिका में उसकी अनुशासनहीनताओं को अभिलेखित किया जाएगा।
    (3) क्षति की लागत पूरी तरह से विधार्थी/विद्यार्थियों से प्राप्त की जाएगी।
    (4) उन्हें अनुशासनहीनता के अनुसार आर्थिक दण्ड दिया जाएगा।
    (5) विश्वविद्यालय के किसी भी लाभ के लिए अधिकारी नहीं होगा।
    (6) उन्हें विदेश या अन्यत्र पढ़ाई करने की कोई सहमति नहीं दी जाएगी।
24. अन्य कोई विद्यार्थी यदि उपरोक्त अनुशासनहीन विद्यार्थी की अनुशासनहीनता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छिपाने की चेष्टा करता है तो उस पर भी नियम 23 के अनुसार दण्ड आरोपित होगा।
25. विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। विद्यार्थी द्वारा बार–बार छात्रावास के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर, छात्रावास/विश्वविद्यालय से निलंबन तथा भारी अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता है।
26. किसी भी विद्यार्थी को, जो संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, को छात्रपाल द्वारा तुरंत छात्रावास से निलंबित कर दिया जाएगा।
27. छात्रावास के भीतर किसी भी अन्य गतिविधि जैसे कि बैठक, आदि के लिए, विद्यार्थी को छात्रावास अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
28. किसी भी अंतेवासी को परिसर के भीतर या बाहर किसी भी

राष्ट्र-विरोधी, असामाजिक या अवांछनीय गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में विपरीत लिंगी का प्रवेश छात्रावास कार्यालय तक ही सीमित है।

29. भिन्न-भिन्न प्रकरण के आधार पर अनुशासनहीनता हेतु दंड भी न्यायोचित दिया जाएगा ।

30. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय सुरक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थी की जाँच की जा सकती है।

31. विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने सामान को सुरक्षित रखें। छात्रावास में गहने आदि अन्य महंगी वस्तुएँ न रखें। संस्थान और छात्रपाल उनके किसी भी सामान के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

32. छात्रावास संपत्ति की क्षति या हानि के मामले में, इस तरह के क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार विद्यार्थी से लागत की प्राप्ति (जिम्मेदार विद्यार्थी या सम्बन्धित सभी विद्यार्थियों से) की जायेगी।

33. छात्रावास परिसर मे निर्धारित समयानुसार एक स्टोर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे विद्यार्थी आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार वस्तुएं क्रय कर सकते हैं।

34. छात्रावास कार्यालय द्वारा विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक को किसी कारणवश बुलाने पर उन्हें निश्चित समय अवधि पर आना अनिवार्य है। विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे प्रस्तुत नियमावली की एक प्रति विश्वविद्यालय की वेब साइट से लेकर अपने माता-पिता को अवश्य दिखायें।

35. छात्रावास परिसर में किसी भी कक्ष की किसी भी समय तलाशी ली जा सकती है, जिसमें विद्यार्थियों का सहयोग अनिवार्यत: अपेक्षित है।

36. छात्रावास में अन्दर व बाहर जाने पर अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मियों द्वारा सामान की जाँच करवाना तथा आग्रह करने पर अपना

परिचय–पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

37. अन्तेवासी अपने कक्ष की चाभी जो उन्हे दी गयी है, उसे सुरक्षित रखेगें एवं खो जाने पर निर्धारित शुल्क (500 रुपये) जमा कर दूसरी चाभी प्राप्त करेगें व किसी भी स्थिति में कोई भी डुप्लीकेट चाभी नहीं बनवायेंगें।

अतिथि सम्बंधी नियम

1. अभिभावको/आगन्तुकों को माह के द्वितीय व चतुर्थ रविवार को प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सम्बधित विद्यार्थी से मिलने की अनुमति होगी।
2. अनाधिकृत अतिथियों को छात्रावास में प्रवेश कराने पर, छात्रावास से निष्कासन सहित गंभीर दंड अनुमन्य होंगे।
3. किसी भी अतिथि को किसी विद्यार्थी के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है।
4. माता–पिता/अभिभावकों सहित छात्रावास के सभी आगंतुकों को सुरक्षा गार्ड के समक्ष छात्रावास के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां प्रविष्ट करानी होंगी।
5. महिला छात्रावास में पुरूष छात्रों का प्रवेश एवं पुरूष छात्रावास में महिला विद्यार्थियों का प्रवेश निषेध है।

उपकरणों का उपयोग तथा रखरखाव

1. बिजली के उपकरणों जैसे कि विद्युत् चूल्हा/हीटर/इस्त्री का उपयोग निवास के लिए आवंटित किसी भी कक्ष में वर्जित है। छात्रावास एवं विद्यार्थी के कक्ष में खाना पकाना वर्जित है। उपरोक्त उपकरण, पाए जाने पर जब्त कर लिए जाएंगे और आर्थिक दण्ड भी आरोपित किया जाएगा।
2. छात्रावास के कक्ष में किसी प्रकार का विद्युत् यंत्र यथा–हीटर, रूम

हीटर, म्युजिक सिस्टम आदि का प्रयोग न करें। कमरे में गैस सिलेण्डर, पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थ रखना छात्रावास में पूर्णतः वर्जित है।

3. आवंटित कक्ष में विद्यार्थियों को अपने कम्प्यूटर, मोबाईल पर प्रतिबंधित पुस्तक साहित्य/अनाधिकृत/बिना लाइसेंस की चलचित्र आदि देखने की अनुमति नहीं है। इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन गंभीर श्रेणी की अनुशासनहीनता मानी जाएगी। इसके लिए दण्ड का निर्णय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

4. ऐसे ध्वनियंत्र जिससे अन्य अंतेवासियों को असुविधा हो, रखना अमान्य है। व्यक्तिगत टीवी, वीसीआर और वीसीडी/डीवीडी का उपयोग निषिद्ध है। अंतेवासी आपत्तिजनक सीडी आदि बाहर से नहीं ला सकते।

5. जब विद्यार्थी अपने कक्ष से बाहर जाते हैं, तो उन्हें सभी इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करके, कक्ष को ताला लगाना होगा अन्यथा की स्थिति में अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

6. आवंटित कक्ष की समस्त जिम्मेदारी प्रत्येक विद्यार्थी की स्वयं होगी, उसे अपने छात्रावास एवं कक्ष का पर्यावरण स्वच्छ रखना होगा। सभी विद्यार्थी समय-समय पर मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों (सिविल, बढ़ईगीरी, और विद्युत्) की स्थिति को छात्रावास कार्यालय को सूचित करेंगे जिसका सशुल्क निस्तारण किया जाएगा।

7. अंतेवासी अपने कक्ष की संपत्ति की क्षति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। जब कोई विद्यार्थी छात्रावास खाली करता है या बदलता है तो फर्नीचर और अन्य सामग्रियों को क्षतिरहित सौपना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

8. विद्यार्थी अपने आवंटित कक्ष से किसी भी फर्नीचर को स्थानांतरित नहीं करेगा और किसी भी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

यदि एक कक्ष में नियमानुसार अधिक कोई अतिरिक्त वस्तु है, तो कक्ष में रहने वाले उन्हें छात्रावास प्रशासन को सौंप देंगे, जिसमें विफल रहने पर वह छात्रपाल द्वारा तय किए गए आर्थिक दण्ड के अधिकारी होंगे।

9. छात्रों को रखरखाव के काम में सहयोग करना चाहिए और छात्रावास प्रबन्धन कमेटी की आवश्यकतानुसार मरम्मत आदि कार्यों हेतु कक्षों को रिक्त करना होगा। ऐसे समय पर, छात्रावास प्रशासन विद्यार्थियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने का प्रयास करेगा। यदि कक्ष भरे है और किसी कक्ष में रखरखाव का काम किया जाना है, तो आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी छात्रावास की होगी ।
10. गीले/भीगे वस्त्रों को यथा स्थान पर ही सुखाने के लिए फैलायें न कि सार्वजनिक स्थानों पर व कक्ष में इधर-उधर, दरवाजों, टेबल आदि पर।

सामूहिक उत्तरदायित्व

1. छात्रावास की संपत्ति का सामूहिक उत्तरदायित्व सभी अन्तेवासियों पर होगी। किसी भी प्रकार के क्षति करने वाले दोषी विद्यार्थी के न पाए जाने पर क्षतिपूर्ति सामूहिक रूप से की जाएगी।
2. अन्तेवासियों को उन प्रथाओं/गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों को असुरक्षित कर सकें।
3. अन्तेवासियों को किसी भी अप्रिय घटना की सूचना सहायक छात्रपाल /छात्रावास प्रबन्धन /छात्रपाल/संयोजक को देनी होगी।
4. विद्यार्थियों द्वारा शक्तिचालित वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अन्तेवासी दण्ड के पात्र होंगे। विश्वविद्यालय में लाए जाने वाले मोटर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और भारी आर्थिक दंड आरोपित किया जाएगा। जब्त वाहनों को पाठ्यक्रम पूरा होने के अंत में ही जारी किया जाएगा।

5. अन्तेवासियों को परिसर के अंदर सभी यातायात के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

6. अन्तेवासियों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध स्थान में ही साईकिल खड़ी करनी होगी। प्रवेश द्वार पर या गलियारों में कोई भी साईकिल/वाहन खड़ा नहीं करना होगा।

7. संबंधित अधिकारियों की विशिष्ट अनुमति के बिना छात्रावास के भीतर या बाहर या संस्थान परिसर के भीतर किसी भी समारोह या बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है।

8. विद्यार्थियों को संकायाध्यक्ष (छात्रकल्याण)/छात्रपाल, पतंजलि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पिकनिक की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है।

9. अन्तेवासियों को पर्यावरण के प्रति सचेत होना आवश्यक है। उसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना उनका उत्तरदायित्व है। कूड़े को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए और कैरी बैग जैसे गैर-जैविक-अवक्रमित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।

10. छात्रावास के निवासी अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा हेतु स्वयं उत्तरदायी होंगे। सूच्य हो कि मूल्यवान वस्तुओं जैसे कि लैपटॉप, मोबाईल दूरभाष आदि को बन्द कर तथा कक्ष से बाहर जाने पर कक्ष को ताला लगा दें।

11. पतंजलि विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार परिसर तक सीमित है। यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के बाहर कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो वे पुलिस व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होंगे।

12. बड़े समूहों में छात्रावास से बाहर न जाएं, जिन्हें नियंत्रित करना दुष्कर हो। यदि आप किसी अप्रिय स्थितियों में संलिप्त होते हैं, तो आप अकेले कुप्रभावित नहीं होते बल्कि सम्पूर्ण संस्थान के प्रति अनुचित धारणा बनती है।

13. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अनुशासन भंग न करें। अनुशासन की स्थापना में विश्वविद्यालय किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सहायता करेगा यदि वह अनुशासनहीन नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुशासित विद्यार्थियों के सहायतार्थ व सुरक्षार्थ सदैव तत्पर है।
14. विद्यार्थियों को छात्रावास से बाहर जाने से पहले सायं 7:00 बजे से पूर्व परिसर में वापस लौटने की योजना बना लेनी चाहिए।

छात्रावास शुल्क

1. विवाहित विद्यार्थियों/शोधार्थियों जिन्हें परिसर में अन्यत्र निवास स्थान प्रदान किया गया हो, जिन्हें छात्रावास में रहने से पूरी तरह से छूट दी गई हो, ऐसे विद्यार्थियों/शोधार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में छात्रपाल को शुल्क माफ करने हेतु आवेदन करना होगा। यदि पूर्व में छात्रावास में कक्ष आवंटित किया जाता है तो एक सत्र के लिए शुल्क देय हैं, भले ही वे सत्र के बीच में कक्ष खाली कर दें और उनके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। यदि अगले सत्र के दौरान छात्रावास में पुनः प्रवेश पाना चाहते हैं, तो पूर्ण सत्र शुल्क एक बार फिर देय होगा। इस सम्बन्ध में, विद्यार्थी को छात्रावास प्रदान किया जाएगा परन्तु पति-पत्नी एवं बच्चों को नहीं।
2. यदि पर्यवेक्षक/प्रबन्धन समिति द्वारा किसी विद्यार्थी को आवास अनुपलब्धता के कारण छात्रावास उपलब्ध नही कराया जाता तो उससे छात्रावास शुल्क नहीं लिया जायेगा। आवास उपलब्ध होने पर ही शुल्क लिया जाएगा।
3. उपरोक्त सूचना समयानुसार प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में www.universityofpatanjali.com से प्राप्त की जाती है।

भोजनालय नियम

1. किसी भी विद्यार्थी को भोजनालय की सदस्यता के बिना छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। छात्रों को अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर भोजनालय सुपरवाइजर को दिखाना होगा।
2. भोजनालय समय निम्न प्रकार हैं और छात्रों को इस समय का पूर्णतः पालन करना होगा–
   - प्रातःराश 7.30 बजे से 9.00 बजे तक
   - दोपहर का भोजन 1.00 बजे से 2.00 बजे तक
   - रात्रि का भोजन 7.30 बजे से 8.15 बजे तक

   नोट : विशेष परिस्थितियों मे समय परिवर्तन किया जा सकता है।
3. भोजनालय में स्वयं–सेवा की प्रणाली का पालन किया जाएगा।
4. विशेष खाद्य–पदार्थों के सम्बन्ध में भोजन की मात्रा सीमित होगी।
5. विद्यार्थी पूर्व सूचना दे कर उपयुक्त टोकन के आधार पर अपने अभिभावकों को भोजनालय का लाभ दे सकते हैं।
6. विद्यार्थी को किसी भी भोजनालय में अतिथि के रूप में भोजन करने की अनुमति नहीं है।
7. भोजनालय शुल्क में छूट निम्नलिखित आधारों पर छात्रावास के अन्तेवासियों हेतु स्वीकार्य है–
   (1) कुलपति द्वारा घोषित करने पर।
   (2) विभाग प्रमुख की अनुमन्यता पर खेल, प्रतियोगिताओं, सेमिनार, शैक्षिक पर्यटन आदि में भाग लेने पर।
   (3) प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी की अनुमन्यता पर साक्षात्कार, फील्ड कार्य, प्रशिक्षण अथवा शोध परियोजना में भाग लेने पर।
   (4) किसी गंभीर बिमारी के कारण चिकित्सालय में 15 दिवसों से अधिक समय हेतु भर्ती होने पर।

8. भोजनालय समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यार्थियों को खाने की जाँच करने, भोजनालय के किचन या स्टोर कक्ष में जाने की या जाँच की अनुमति नहीं है।
9. विद्यार्थियों को भोजनालय में या अपने कक्षों में खाना पकाने की अनुमति नहीं है।
10. विद्यार्थियों को भोजनालय से बाहर खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बर्तनों को कक्ष में ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।
11. किसी भी विद्यार्थी के लिए छात्रावास के कक्षों में तब तक भोजन नहीं परोसा जाएगा, जब तक लिखित रूप से संस्थागत चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसा करने हेतु संस्तुति न दी गई हो।
12. कोई भी विद्यार्थी भोजन को अवशिष्ट नहीं करेगा। भोजनालय शुल्क भुगतान भोजन को अवशिष्ट करने का अधिकार नहीं देता।
13. भोजनालय और विश्वविद्यालय परिवेश को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करें। दीवारों पर कोई विज्ञापन न चिपकाएं। नाटिस बोर्ड पर चस्पा नोटिस को निकालने का अधिकार छात्रों को नहीं होगा।
14. भोजनालय में विद्यार्थी शान्ति व विनम्रता का परिचय दें।
15. भोजन उपरांत विद्यार्थी बचा हुआ भोजन व बर्तन आदि नियत स्थान पर रखें।
16. यदि कोई विद्यार्थी चिकित्सकीय रूप से बीमार है और उसे चिकित्सकीय आहार की आवश्यकता होती है, तो अनुरोध पर उपलब्धता अनुसार खिचड़ी आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
17. किसी भी पालतू जानवर को भोजनालय में ले जाना निषेध हैं, ऐसे अभ्यासों को किसी भी परिस्थिति में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
18. भोजनालय में आते समय विद्यार्थियों को बिना आस्तीन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।

छात्रावास उपस्थिति में छूट के नियम

1. किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु छात्रों से अपेक्षा है कि अधिकृत अधिकारी से सत्यापित अनुमति प्राप्त कर छात्रावास प्रशासन को प्रस्तुत करें, तद्नुसार छात्रावास उपस्थिति में अधिकतम छूट रात्रि 10:00 बजे तक अनुमन्य होगी।
2. छात्रावास रात्रि उपस्थिति हेतु छूट का अनुरोध करने वाले विद्यार्थी को छात्रपाल से अनुमति शाम 04 बजे से पूर्व लेनी होगी तथा सम्बन्धित सूचना को सुरक्षा अधिकारी को सूचित करना होगा।

यूजीसी नियमों के संदर्भ में रैगिंग विरोधी मानक एवं उनके उपाय

उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग की चुनौति को समाप्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2009 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 (1) (जी) के तहत अधिसूचना, गाइल संख्या 1-16/2007 (सी पी पी-02) उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध परिषद प्राचार्य, विश्वविद्यालय और अन्य हएसएलपी नं 2006 का 24295 दिनांक 16.05.2007 और सिविल अपील संख्या 887 दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के आलोक में दिनांक 17.06.2009 से रैगिंग दण्डनीय अपराध है। यह किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किसी भी गलत आचरण को निषिद्ध करने के लिए प्रभावी हुआ है, चाहे वह शब्दों द्वारा लिखा या बोला गया हो अथवा किसी ऐसे कार्य से हो, जिसका प्रभाव हो चिढ़ाना, अनुचित व्यवहार करना या किसी छात्र के साथ क्रूर आचरण, या किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा ऐसी अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो कष्ट या कठिनाई का कारण बनता है। किसी नवीन या किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों में भय या आशंका पैदा करने के लिए विद्यार्थी या विद्यार्थियों को ऐसा कोई कार्य करने के लिए कहना, जिससे छात्र के उपर

मनोवैज्ञानिक प्रभाव या पीड़ा या लज्जास्पद हो, जिससे कि किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों की शारीरिक या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों पर किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा हंसी उड़ाना या शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता या वर्चस्व दिखाने का प्रयास करना। विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और देश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा उन विद्यार्थी या विद्यार्थियों को दण्डित करना होगा जो इन विनियमों के तहत इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं तथा जो इन विनियमों और दिये गये उपयुक्त सशक्त कानून के अनुसार रैगिंग में लिप्त पाये जाते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में एक रैगिंग विरोधी समिति बनी है और हमारा परिसर रैगिंग मुक्त है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी गतिविधि होती है, तो उसे गंभीरता के साथ देखा जाएगा और निर्धारित अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के तहत रैगिंग विरोधी समिति या शैक्षणिक संस्थान आरोपित विद्यार्थी या विद्यार्थियों को दण्डित करेगा–

1. नवप्रवेशी विद्यार्थियों के साथ या किसी अन्य विद्यार्थी के साथ अनुचित बोला गया, अनुचित लिखा गया अथवा छेड़छाड़ की घटना को रैगिंग कहा गया है।
2. किसी भी विद्यार्थी/विद्यार्थियों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना, जो किसी भी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों को किसी भी नवप्रवेशी विद्यार्थी या विद्यार्थियों में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति या आशंका पैदा करना रैगिंग का कारण बताया गया है।
3. किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को कोई भी कार्य करने के लिए कहना, जो ऐसे विद्यार्थी या विद्यार्थियों के सामान्य पाठ्क्रम में नहीं है और जिससे उसे पीड़ा या असंतुलन की भावना पैदा हो रही हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
4. एक वरिष्ठ विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य

जो नवप्रवेशी के लिए या किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित करता है।

5. किसी शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए एक नवप्रवेशी या किसी अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों की सेवाओं का शोषण करना।
6. विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ अथवा अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों पर वित्तीय अधिभार या अनावश्यक व्यय भार आरोपित करना।
7. भौतिक दुर्व्यवहार का कोई भी कार्य अन्य दुर्व्यवहार जैसे कि यौन दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, अश्लील और भद्दी हरकतें, इशारे करना, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
8. नवीन एवं अन्य विद्यार्थी या विद्यार्थियों को अपशब्द बोलना, ईमेल भेजना, पोस्ट करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, विद्यार्थी या विद्यार्थियों की शान्ति को विकृत करना ।
9. किसी भी नवप्रवेशी विद्यार्थी या विद्यार्थियों या अन्य के प्रति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा व्यवहार करना जो कि मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो जैसे कि शक्ति प्रदर्शन, वरिष्ठता का प्रदर्शन तथा विद्यार्थी या विद्यार्थियों का उपहास करना।
10. ऐसी किसी घटना के होने पर, जिसे स्पष्ट रूप से रैगिंग के तहत परिभाषित किया जा सकता है, के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही हेतु छात्रपाल/संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण/एन्टी रैगिंग दस्ते से सम्पर्क करें। सूचना देने वाले की सुरक्षा की जाएगी साथ ही उन्हें इस घटना में लिप्त नहीं किया जाएगा। नवप्रवेशी को अपनी इच्छा के अनुरूप या विरूद्ध स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए भले ही वह आदेश वरिष्ठ विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा दिया गया हो। रैगिंग के ऐसे किसी भी प्रयास को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी यदि किसी कारणवश अलग–अलग

छात्रावासों में रह रहे है, वहाँ वरिष्ठ विद्यार्थी या विद्यार्थियों का जाना प्रतिबन्धित है। बिना किसी पूर्व अनुमति के वहाँ पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन विद्यार्थी या विद्यार्थियों को उपरोक्त गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उचित दण्ड के अधिकारी होंगे।।

11. उपरोक्त के सन्दर्भ में (रैगिंग की प्रत्येक घटना के तथ्यों पर और एंटी रैगिंग समिति की सिफारिश पर स्थापित रैगिंग की घटनाओं की गंभीरता के आधार पर) एंटी रैगिंग समिति निम्नलिखित उचित निर्णय लेगी।
    - एंटी रैगिंग समिति, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए एक एंटी रैगिंग समिति बनायेगी जो विद्यार्थी या विद्यार्थियों को कक्षाओं या शैक्षणिक गतिविधियों से निलम्बन का निर्धारण करेगी।
    - छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति और अन्य लाभों से वंचित करना।
    - किसी भी परीक्षण/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया रोकना।
    - परीक्षी परिणाम रोकना।
    - किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठक, प्रतिस्पर्धा, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
    - सत्रार्द्ध के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित करना।
    - संस्था से निष्कासन और उस निश्चित समयावधि में किसी अन्य संस्था में प्रवेश से वंचित करना। यदि दोषी विद्यार्थी की पहचान नहीं होती तब सामूहिक दण्ड भी आरोपित किया जाएगा।
12. एंटी रैगिंग समिति द्वारा आरोपित दण्ड का प्रतिवेदन निम्नलिखित को किया जायेगा–
    - विश्वविद्यालय या उससे सम्बन्धित संस्थान या उसके अंश द्वारा निर्गत आदेश–मा० कुलपति महोदय को।
    - विश्वविद्यालय के आदेश–कुलाधिपति को।

छात्रावास प्रबंधन के अधिकार

1. उपरोक्त नियमों का उल्लंघन, छात्रावास प्रबंधन द्वारा जाँच को आमंत्रित करेगा। यदि विद्यार्थी दोषी पाया जाता है, तो छात्रावास प्रबंधन उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। प्रबंधन को सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, तथा अनुशासनहीनता के आधार पर अल्पकालीन सूचना पर विद्यार्थी का छात्रावास निष्कासन भी किया जा सकता है।
2. छात्रावास विज्ञापन बोर्डों पर प्रदर्शित सामान्य परिपत्रों के माध्यम से विद्यार्थी को सूचित करते हुए समय-समय पर छात्रावास प्रबंधन उपरोक्त नियमों को बदलने का अधिकार रखता है।
3. यू.जी.सी. मानदण्डों के अनुसार मोबाईल, निरोधक यंत्र छात्रावास परिसर में क्रियात्मक होंगे। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से इन नियमों का विरोध करने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर, विद्यार्थी को 3 दिनों या पूर्णरुपेण छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
4. छात्रावास परिसर में मादक पेय या मादक दवाओं का सेवन, धूम्रपान सेवन पूर्णतया वर्जित है। विधार्थी नशे की स्थिति छात्रावास परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे तथा इस तरह की सामग्री उनके पास नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अंतेवासी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप छात्रावास और विश्वविद्यालय से निष्कासन होगा। परिस्थिति के अनुसार, छात्रावास प्रबंधन को सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसमें से आर्थिक दण्ड अथवा छात्रावास से निष्कासन अथवा दोनों हो सकते हैं।

नोट :

1. उपरोक्त समस्त नियम शोधार्थियों पर भी समानरुप से लागू होगें।
2. सुझाव और शिकायतें या तो सुझाव पेटी में जमा की जानी चाहिए या छात्रावास परिसर में सुझाव पंजिका में दर्ज की जानी चाहिए।

पतंजलि विश्वविद्यालय